न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 156 / 2019

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1.मंगलाराम पुत्र हेमाराम 2.धूडाराम पुत्र भंवराराम जातियान– कुम्हार, निवासी जोरानाडा, तहसील शिव जिला बाडमेर।		1.जोगाराम पुत्र नैनाराम 2.श्रीमती मिरगोदेवी पत्नी नैनाराम 3.रामसिंह पुत्र विरधसिंह 4.हिन्दूसिंह पुत्र जामतसिंह 5.मुल्तानसिंह यपुत्र नैनसिंह 6.जुझारसिंह पुत्र स्वरूपसिंह जातियान– कुम्हार, निवासी जोरानाडा, तहसील शिव जिला बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 15.6.2016 को उपखण्ड अधिकारी शिव के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 259 / 2016 अनवान जोगाराम वगैराह बनाम मंगलाराम वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री मोहनलाल खत्री, अधिवक्ता अपीलान्टस् की ओर से।
2. श्री भंवरलाल डूडी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 1, 2 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद तामीली सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांकः 12 मार्च, 2026

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 259 / 2016 अनवान जोगाराम वगैराह बनाम मंगलाराम वगैराह में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.6.2016 के विरूद्व यह प्रथम अपील दिनांक 20.08.2019 को प्रस्तुत की गई।

2. पक्षकरान के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों अनुसार कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.6.2016 अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा लोक अदालत कैम्प में पारित किये जाने से उक्त आदेश की जानकारी अपीलान्ट को नहीं हो पाई। हाल ही बरसात के समय

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलार्थीगण अपने खातेदारी के खेत में काश्त करने लगते तब रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 ने आपत्ति की और अवगत कराया कि उनके द्वारा नेखमबन्दी का आदेश प्राप्त कर लिया है। तब अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश की नकले प्राप्त की तब, सर्वप्रथम आदेश का ज्ञान हुआ। अतः अपील प्रस्तुत करने में देरी को माफ किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावें। रेस्पोडेन्टस की अधिवक्ता की ओर से अपीलान्ट की ओर से पेश मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का विरोध किया गया। अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरान्त उसमें अंकित तथ्यों के आधार पर स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

3. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष प्रार्थना–पत्र दिनांक 3.5.2016 अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 111,128 के तहत प्रस्तुत किया गया कि मौजा जोरानाडा के ख0सं0 1003/742, 1141/829 रकबा क्रमशः 52.02, 63.00 बीघा उनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित है। प्रार्थीगण के उक्त खसरा भूमि के सेढासेढ अपीलार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण का खेत आया हुआ है। दोनों खेतों की सेढो पर पुरानी माठ व कणे थे, जो आंधियों की वजह से बिखर गये है, जिनके बीच कोई सीमा चिन्ह या कोई पक्की माठ नहीं होने से वर्षा के समय सेढो को लेकर विवाद रहता है। इसलिये मौका फर्द पैमाइश के अनुसार पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2016 के द्वारा उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए उक्त वादग्रस्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने का आदेश पारित किया गया।

4. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 2 के द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के नेखमबन्दी करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया एवं आगामी तारीख 15.6.2016 को नियत की गई, उक्त पत्रावली को उसी दिन लोक अदालत के कैम्प में भेज दी गई जिसकी कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई और उसी दिन प्रकरण का निस्तारण कर दिया जो एकपक्षीय होने एवं धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

2

5. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी नोटिस तामील सवार के द्वारा जिस प्रकार से तामील करवाया गया है वो अपीलार्थीगण के फर्जी हस्ताक्षर कर करवाये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सीपीसी के प्रावधानों की पालना नहीं करवाई, इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण को लोक अदालत में रखकर बिना अपीलार्थी को सूचित किये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो कि न्यायिक आदेश की श्रेणी में न होकर प्रशासनिक आदेश की श्रेणी में आता है जो निरस्त करने योग्य है। लोक अदालत कैम्प में मात्र दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा के प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का न तो सीमाज्ञान करवाया गया है और न ही सीमाज्ञान का आदेश करवाया गया है। धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत नेखमबन्दी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व सीमा ज्ञान करवाया जाना आवश्यक है। पक्षकारान के मध्य सीमाओं सम्बन्धी विवाद होने के कारण व मौके पर आवेदनकर्ता की भूमि कम होने व रेवेन्यू रेकर्ड में ज्यादा होने होने के कारण उसकी पूर्ति के लिये रेस्पोडेन्टस् अपीलान्टस की खातेदारी भूमि में घुसकर नेखमबन्दी करवा रहा है।

6. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अन्त यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि के अनुकूल एवं प्राकृतिक न्याय व नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से एवं धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के विपरित होने से निरस्त किया जावे एवं अपीलान्टस की अपील को स्वीकार की जावें।

7. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 ता 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष प्रार्थना–पत्र दिनांक 3.5.2016 अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 111,128 के तहत प्रस्तुत करते हुए मौजा जोरानाडा के ख0सं0 1003/742, 1141/829 रकबा कमशः 52.02, 63.00 बीघा उनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित होने तथा प्रार्थीगण के उक्त खसरा भूमि के सेढासेढ अपीलार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण का खेत आया हुआ होने से दोनों खेतों की सेढो पर पुरानी माठ व कणे थे, जो आंधियों की वजह से बिखर गये है, जिनके बीच कोई सीमा चिन्ह या कोई पक्की माठ नहीं होने से वर्षा के समय सेढो को लेकर विवाद बना रहता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पोकरण

3

8. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त खेत की पैमाइश हेतु पटवारी हल्का से निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने मौके पर सेढा पडौसियान एवं मौतबिरान के रूबरू खेत का सीमाज्ञान करने हेतु पहुंचे किन्तु पडौसियान ने पटवारी हल्का को सीमज्ञान नहीं करने दिया व विवाद करने लग गये तब पटवारी हल्का ने उपखण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष नेखमबन्दी का प्रार्थनापत्र पेश करने की सलाह दी गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव के द्वारा रेस्पोडेन्टस् के उक्त आवेदन को दर्ज रजिस्टर करते हुए विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर वर्तमान अपीलान्टस् एवं अन्य विप्रार्थीगण को नोटिस तामील करवाये गया परन्तु अपीलान्ट एवं अन्य अप्रार्थीगण के अनुपिस्थत रहने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा लोक अदालत के कैम्प कोर्ट में दिनांक 15.6.2016 में आदेश पारित करते हुए मौजा जोरानाडा के ख0सं0 1003/742, 1141/829 रकबा क्रमशः 52.02, 63.00 बीघा भूमि की पैमाइश करते हुए उसके चारों तरफ नेखम स्थापित करने के आदेश पारित किये गये है जो यथावत रखे जाने योग्य है।

9. रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.6.2016 की पालना में तहसीलदार कार्यालय की ओर से दिनांक 7.7.2019 को वादग्रस्त भूमि की गई पैमाइश के अनुसार पक्के नेखम स्थापित कर दिये गये है उक्त नेखम कार्यवाही के समय अपीलान्टस एवं अन्य पडौसी खातेदार उपस्थित रहे थे परन्तु कुछ खातेदारों ने फर्द पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। ऐसे में अपीलाधीन आदेश की पालना हो जाने से यह अपील स्वतः ही प्रभावहीन हो गई है जो खारिज की जाने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर ही अपीलान्ट की अपील सारहीन, आधारहीन एवं प्रभावहीन होने से अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.6.2016 को यथावत रखा जावें।

10. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने रिबीटल में यह कथन किया कि दिनांक 7.7.2019 को मौका फर्द को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया गया और अथवा अस्वीकार किया गया हो, ऐसा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर उपलब्ध नहीं है जो कि आवश्यक होता है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश की पालना हो ही गई हो, को स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

11. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति की है कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में नेखमबन्दी की कार्यवाही किये जाने से पूर्व भूमि का सीमाज्ञान नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त उन्हें अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जाने से पूर्व उन्हें सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें वादग्रस्त भूमि का उभय पक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार/राजस्व अधिकारियों से सीमाज्ञान हो रखा हो। धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीमाज्ञान का विवाद होने की स्थिति में ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उसके निराकरण हेतु आवेदन किया जा सकता है तथा भू अभिलेख अधिकारी के द्वारा दोनों पक्षकारान की सुनवाई करने के उपरान्त पत्थरगढी के आदेश दे सकते है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस एवं अन्य पक्षकारान को अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अनुसार आवश्यक है। साथ ही नेखमबन्दी की दिनांक 7.7.2019 को मौका फर्द पर खातेदारों के द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार किया जाना भी दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों पर मनन करने व विश्लेषण करने उरान्त हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ग्राम ख0सं0 1002/742, 1141/829 रकबा 52.02 व 63.00 बीघा भूमि के सम्बन्ध में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.6.2016 एवं उसकी पालना में की गई पक्की नेखमबन्दी को निरस्त करते हुए वादग्रस्त भूमि का तहसीलदार से सीमाज्ञान कराये जाने के उपरान्त, सभी उभय पक्षकारान को अपना पक्ष रखने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

12. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, शिव के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.6.2016 उसकी पालना में की गई पक्की नेखमबन्दी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

5

को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि का विधि के अनुसार सीमाज्ञान कराये जाने, सीमाज्ञान की रिपोर्ट तलब करने, उभय पक्षकारान को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त उपरोक्त ऑब्जर्वेशन को मध्यनजर रखते हुए पुनः यथोचित आदेश पारित करे। निर्णय आज दिनांक 12/3/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

12/3/26.

(सुनिता चौधरी)
अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

6